



2026:AHC: 55922

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4582/2026

आनंद वर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: अनूप कुमार, पवनकुमार दुबे
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

- 1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री ओ.पी. द्विवेदी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वह प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए तैयार हैं।
- 3- यह जमानत आवेदन, अभियुक्त-आवेदक आनंद वर्मा की ओर से, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 509 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
- 4- संक्षेप में, एफ.आई.आर. में निहित अभिकथन के अनुसार अभियुक्त-आवेदक ने सूचनादाता की केवल 13 वर्ष की नाबालिग बेटी का अपहरण किया है।
- 5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त-आवेदक ने एफ.आई.आर. में अभिकथित कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है, क्योंकि वह सूचनादाता का पड़ोसी है। आवेदक 18.10.2025 से कारागार में है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद है, लेकिन उसने सूचनादाता की बेटी को न तो फुसलाया है और न ही उसका अपहरण किया है और पीड़िता ने आवेदक द्वारा अपने अपहरण के संबंध में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक उससे शादी करना चाहता था और उसने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, जबकि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में उसने कहा कि जब वह अपनी माँ के साथ सो रही थी, तो आवेदक और उसका भाई आए और जबरन उसका अपहरण कर लिया और आवेदक ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने आवेदक से शादी करने से इनकार कर दिया, आवेदक ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180, 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में आवेदक और उसके भाई को समान भूमिका सौंपी है और एफ.आई.आर. और बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत बयान के अनुसार उसकी उम्र 13 वर्ष है। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता को घटना के पांच दिन बाद बरामद किया गया था और आवेदक के खाते में कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुतीकरण यह है कि विचारण के निष्कर्ष में काफी लंबा समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

6- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यह तर्क देते हुए आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है कि विचारण-पूर्व स्तर पर आवेदक की बेगुनाही का निर्णय नहीं किया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी रियायत का हकदार नहीं है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार, इस वाद में 20.10.2025 को पहले ही आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

7- ऊपर अंकित किए गए पक्षकारों के प्रस्तुतीकरणों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि यद्यपि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद है, लेकिन पीड़िता को घटना के पांच दिन बाद बरामद किया गया था, यद्यपि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दिए गए बयान में उसने कहा कि आवेदक ने जबरन उसका अपहरण किया है, लेकिन बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में उसने जबरन अपहरण करने के संबंध में आवेदक और उसके भाई की भूमिका और संलिप्तता बताई है, इसलिए, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत बयान में दो व्यक्तियों की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिए, अभियोजन के साक्षीगण को डराने-धमकाने या उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है, विचारण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश; **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉसूट 677** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तर संख्या 53 पर विचार करते हुए, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की **दो भारी प्रतिभूतियां** प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षीगण को धमकी नहीं देगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

8- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9- बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 मार्च, 2026

आरए

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।